

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 4/2019 (2019/00091)

दायर तारीख 31/01/2019

अनवान

01. मु0 कस्तुरी बेवा नानुराम जाट
  02. नारायण पिता हीरालाल जाट
- सर्व निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

.....वादीगण

बनाम

01. गोपीलाल पिता खेमा जाट
  02. शंकरलाल पिता खेमा जाट
  03. पिकी पुत्री भैरूलाल जाट
- सर्व निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
04. SBBJ (SBI) शाखा आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक,
  05. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री मुकेश चौधरी, अधिवक्ता वादीगण  
श्री कल्याणमल कुम्हार प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3  
श्री एम0एल0 बापना प्रतिवादी संख्या 4

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 का0 अधिनियम


:- निर्णय :-

दिनांक :- 28/01/2020

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 01.10.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम आमली पटवार हल्का आमली स्थित आराजी नं0 355 रकबा 0.27है0 3035 रकबा 0.07है0 3036 रकबा 0.07है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.41है0 भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी0डी0/2019/209 दिनांक 12.12.2019 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम आमली स्थित आराजी 355 रकबा 0.27है0 3035 रकबा 0.07है0 3036 रकबा 0.07है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.41है0 भूमि का ही विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादी द्वारा स्वीकार है।


अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातों के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

// 02 //


क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	कस्तुरी बेवा नानू नारायण पिता हीरालाल जाट सा० देह खातेदार	आमली	3036 355/1	0.07 0.13
		कुल	2	0.20
		2	गोपीलाल 1/6 शंकरलाल 2/3 पिता खेमा पिंगी पिता भैरूलाल 1/6 जाट सा० देह खातेदार रहन SBBJ आमली हिस्सा शंकरलाल पर	आमली
कुल	2			0.21


उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

  
(विकास पंचोली)

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड  
अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(विकास पंचोली)

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड  
अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाड़ा  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज.)

मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापूर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS)

वादपत्र संख्या:- 04/2019

अनवान

01. मु० कस्तुरी बेवा नानुराम जाट
02. नारायण पिता हीरालाल जाट  
सर्व निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

.....वादीगण

बनाम

01. गोपीलाल पिता खेमा जाट
02. शंकरलाल पिता खेमा जाट
03. पिकी पुत्री भैरूलाल जाट  
सर्व निवासी आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
04. SBBJ (SBI) शाखा आमली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक,
05. तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापूर जिला भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री मुकेश चौधरी, अधिवक्ता वादीगण  
श्री कल्याणमल कुम्हार प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3  
श्री एम०एल० बापना प्रतिवादी संख्या 4

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा०टी०एक्ट

निर्णय दिनांक : 28.01.2020

डिक्री दिनांक : 28.01.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापूर बहाजरी अधिवक्तावादी श्री कल्याणमल कुम्हार व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	कस्तुरी बेवा नानू नारायण पिता हीरालाल जाट सा० देह खातेदार	आमली	3036 355/1	0.07 0.13
		कुल	2	0.20
2	गोपीलाल 1/6 शंकरलाल 2/3 पिता खेमा पिकी पिता भैरूलाल 1/6 जाट सा० देह खातेदार रहन SBBJ आमली हिस्सा शंकरलाल पर	आमली	3035 355/2	0.07 0.14
		कुल	2	0.21

लगातार,

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज.)

// 02 //

नीज .....Nil.....मुबलिंग ..... Nil .....  
बाबत् ..... Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....फीस  
दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....  
का अदा करे।


बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/01/2020 को जारी  
किया गया।



(विकास पंचोली)

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड  
अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाड़ा  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज.)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महनताना वकील ( )	—		महनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		



(विकास पंचोली)

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड  
अधिकारी गंगापूर जिला भीलवाड़ा  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा (राज.)